# अनुदान संख्या 43 – अप्रत्यक्ष कर
# GRANT No. 43–INDIRECT TAXES

| | | | कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्व:** | **Revenue:** | | | | |
| *प्रभारित-* | *Charged–* | | *1,00,00* | *21,86* | *–78,14* |
| *वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि* | *Amount surrendered during the year* | | | | *28,00* |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | |
| मूल | Original | 1689,80,00 | 1749,50,00 | 1636,07,53 | –113,42,47 |
| पूरक | Supplementary | 59,70,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 55,37,00 |
| **पूंजीगत:** | **Capital:** | | | | |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | |
| मूल | Original | 140,20,00 | 140,21,00 | 62,27,81 | –77,93,19 |
| पूरक | Supplementary | 1,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 63,50,00 |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (11342.47 लाख रु.) मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 5970.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

***Notes and comments***

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.11342.47 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.5970.00 lakhs obtained in March, 2008 and constituted 6 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष ''2037'' सीमा शुल्क | Major Head "2037" Customs | | | | |
| मू. | O. | 53142.00 | | | |
| पू. | S. | 1100.00 | 54907.17 | 52600.90 | –2306.27 |
| पु. | R. | 665.17 | | | |
| मुख्य शीर्ष ''2038'' संघ उत्पाद शुल्क | Major Head "2038" Union Excise Duties | | | | |
| मू. | O. | 115338.00 | | | |
| पू. | S. | 4870.00 | 113973.27 | 110724.72 | –3248.55 |
| पु. | R. | –6234.73 | | | |
| मुख्य शीर्ष ''2216'' आवास | Major Head "2216" Housing | | | | |
| मू. | O. | 450.00 | | | |
| | | | 489.56 | 238.91 | –250.65 |
| पु. | R. | 39.56 | | | |

(I) 1.90 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2037'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''राजस्व एवं आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य - समुद्री सीमा शुल्क - मुख्य पत्तन'' - 16567.57 लाख रु. के मूल प्रावधान को 300.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 16867.57 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1000.44 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने और किराए पर लिए गए भवनों के संबंध में किराए में संशोधन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) ''निवारक तथा अन्य कार्य'' - समुद्री सीमा शुल्क - मुख्य पत्तन'' - 29408.68 लाख रु. के मूल प्रावधान को

(I) Provision of Rs.1.90 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2037" - remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(A) "Revenue-cum-Import/Export Trade Control Functions - Sea Customs – Major Ports"– the original provision of Rs.16567.57 lakhs was augmented to Rs.16867.57 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.300.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.1000.44 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of revision of rent in respect of hired buildings.

(B) "Preventive and Other Functions - Sea Customs - Major Ports" – the original provision

800.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 30208.68 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1266.12 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) कुछ पुरस्कार मामलों, भवन किराए पर लिए जाने संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, समुद्री नावों की मरम्मत पर कम व्यय होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए कम दावे प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2038'' - ''संग्रहण प्रभार - आयुक्तालय (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित)'' के अंतर्गत 92901.70 लाख रु. के मूल प्रावधान को 4870.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 97771.70 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दौरों के कम दावे प्राप्त होने और किराए पर लिए गए भवनों के संबंध में किराए में संशोधन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 2287.83 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2038'' - ''निदेशन और प्रशासन'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''निरीक्षण'' - 5314.46 लाख रु. की बचत (13743.90 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदन के बाद कम्प्यूटरीकरण परियोजना के समेकन को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया पूरी होने में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) ''सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक की राष्ट्रीय अकादमी'' - 301.40 लाख रु. की बचत (1497.10 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए प्रक्रिया पूरी करने में विलंब होने और पिछले वर्ष के दौरान 1%की वर्धमान राजस्व आय के भाग के रूप में संगठनात्मक कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विभिन्न मदों की खरीद में विलंब होने के कारण हुई।

(गा) ''प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क)'' - 1804.00 लाख रु. की बचत (2641.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आकस्मिक स्टाफ को काम पर कम लगाए जाने और विशेष कमियों एवं आवश्यकताओं पर केन्द्रित करने के लिए विज्ञापन रणनीति में संशोधन किए जाने के कारण हुई।

of Rs.29408.68 lakhs was augmented to Rs.30208.68 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.800.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.1266.12 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of some of the reward cases, proposal for hiring building, less expenses on repair of marine boats, less claims for medical reimbursement and economy measures.

(III) Under Major Head "2038" - "Collection Charges - Commissionerates (including field offices)" - the original provision of Rs.92901.70 lakhs was augmented to Rs.97771.70 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.4870.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.2287.83 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, less claims for medical reimbursement, tours undertaken by officers and non-finalisation of revision of rent in respect of hired buildings.

(IV) Under Major Head "2038" - "Direction and Administration" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Inspection" – saving of Rs.5341.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13743.90 lakhs) was due to delay in completion of process to implement the consolidation of computerisation project after approval by Cabinet Committee on Economic Affairs.

(B) "National Academy of Customs, Excise and Narcotics" – saving of Rs.301.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1497.10 lakhs) was due to delay in completion of process for setting up of centre of excellence and purchase of various items for enhancing organisational efficiency as part of 1%, incremental revenue earning during previous year.

(C) "Directorate of Publicity and Public Relations (Customs and Central Excise)" - saving of Rs.1804.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2641.00 lakhs) was due to less engagement of contingent staff and revision in advertisement strategy to focus on specific gaps and needs.

(V) मुख्य शीर्ष "2216" - "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - रख-रखाव और मरम्मत" के अंतर्गत 211.09 लाख रु. की बचत (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी रिहायशी भवनों के संबंध में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत मामलों का निष्पादन न किए जाने के कारण हुई।

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत 222.40 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक से 31 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2037" -

(क) "निवारक तथा अन्य कार्य - संभार-तंत्र निदेशालय" - 207.70 लाख रु. का अधिक व्यय (984.70 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास, न्हावा शेवा में स्थापित किए गए चल एवं स्थिर कंटेनर स्कैनरों के संबंध में वार्षिक रखरखाव के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "आरक्षित निधि और जमा लेखे को अंतरण - सीमा शुल्क कल्याण निधि को अंतरण" - 287.20 लाख रु. का अधिक व्यय (999.60 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष में जब्त माल की बिक्री आय में वृद्धि होने की वजह से सीमा शुल्क कल्याण निधि को अधिक राशि अंतरित किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2038" -

(क) "निदेशन और प्रशासन - केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय" - 191.63 लाख रु. का अधिक व्यय (1883.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि होने, अधिक पुरस्कार मामलों का समाशोधन किए जाने और पिछले वर्ष के दौरान 1% की वर्धमान राजस्व आय के भाग के रूप में संगठनात्मक कार्यकुशलता बढ़ाने के कारण हुआ।

(V) Under Major Head "2216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - Maintenance and Repair" - saving of Rs.211.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs) was due to non-execution of sanctioned cases by the Central Public Works Department in respect of Government Residential Buildings.

(VI) Under three heads savings of Rs.222.40 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting more than 10 percent to 31 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2037" -

(a) "Preventive and Other Functions - Directorate of Logistics" - excess of Rs.207.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.984.70 lakhs) was due to requirement of additional funds for annual maintenance in respect of mobile and fixed container scanners installed at Jawaharlal Nehru Port Trust, Nhava Sheva.

(b) "Transfer to Reserve Fund and Deposit Account - Transfer to Customs' Welfare Fund" - excess of Rs.287.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.999.60 lakhs) was due to more amount transferred to Customs' Welfare Fund owing to increase in sale proceeds of confiscated goods in the previous year.

(B) Major Head "2038" -

(a) "Direction and Administration - Directorate General of Central Excise Intelligence" - excess of Rs.191.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1883.30 lakhs) was due to increased rates of dearness allowance, clearance of more reward cases and for enhancing organisational efficiency as part of 1% incremental revenue earning during previous year.

(ख) ''संग्रहण प्रभार - प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के वेतन एवं लेखा कार्यालय (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)'' - 303.11 लाख रु. का अधिक व्यय (1797.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बढ़े हुए महंगाई भत्ते, वेतन एवं लेखा कार्यालयों का पुन: सज्जीकरण/नवीकरण किए जाने और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में ऑनलाइन यूपीएस की खरीद किए जाने के कारण हुआ।

(b) "Collection Charges - Pay and Accounts Offices (Central Excise) of Principal Chief Controller of Accounts, CBEC" - excess of Rs.303.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1797.00 lakhs) was due to increased dearness allowance, refurbishment/renovation of Pay and Accounts Offices and purchase of online UPS in various fields offices.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 64.74 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of Rs.64.74 lakhs occurred constituting 17 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष ''4047'' अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services | | | | | |
| मू. | O. | 10020.00 | | 4046.00 | 2742.23 | –1303.77 |
| पु. | R. | –5974.00 | | | | |
| मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works | | | | | |
| मू. | O. | 2500.00 | | 3225.00 | 3224.05 | –0.95 |
| पू. | S. | 1.00 | | | | |
| पु. | R. | 724.00 | | | | |
| मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4216" Capital Outlay on Housing | | | | | |
| मू. | O. | 1500.00 | | 400.00 | 261.53 | –138.47 |
| पु. | R. | –1100.00 | | | | |

(I) 20.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''4047'' - ''सीमा शुल्क - निवारक एवं अन्य कार्य'' के अंतर्गत 7257.77 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चल स्कैनरों की अधिप्राप्ति के लिए विधि मंत्रालय द्वारा वैश्विक निविदाओं के समाशोधन में विलंब होने, कंटेनरों को संस्थापित किए जाने के लिए भूमि के अधिग्रहण से संबंधित औपचारिकताओं के पूरा न किए जाने, समुद्री जलयानों के लिए निविदाओं के पुन: जारी किए जाने और समुद्री जलयानों की बोलियों के मूल्यांकन के लिए औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर्मचारियों के लिए रिहायशी भवन - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण'' के अंतर्गत 1238.47 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिहायशी आवास की खरीद के प्रस्तावों का समाशोधन न किए जाने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (724.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''कार्यालय भवन - अन्य व्यय - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण'' के अंतर्गत मार्च, 2008 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 723.05 लाख रु. था।

(I) Provision of Rs.20.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) Under Major Head "4047" - "Customs – Preventive and other Functions" - saving of Rs.7257.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to delay in clearance of global tender for procurement of mobile scanners by Ministry of Law, non-completion of formalities relating to acquisition of land for installation of containers, refloating of tenders for marine vessel and delay in finalisation of formalities for evaluation of bids of the marine vessel.

(III) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Residential Buildings for Customs and Central Excise Employees – Acquisition of Ready built flats" – saving of Rs.1238.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-clearance of proposals for purchase of residential accommodation.

4. The above savings were partly (Rs.724.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2008 under Major Head "4059" – "Office Buildings - Other Expenditure – Acquisition of Ready built Accommodation". Actual excess, however, was Rs.723.05 lakhs.